(9)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /   / निगरानी / पी.बी.आर. / 2017

सिया बाई पुत्री रणधीरसिंह
जाति बघेल,उम्र लगभग–55वर्ष
कृषक –ग्राम भीलाखेड़ी कला
पो0 सुनखेर,तह0 लटेरी,जिला विदिशा,
निवासी– मकान नं. 110, गैस एजेन्सी के पीछे
अम्बेडकर वार्ड, कस्बा एवं तह. लटेरी जि. विदिशा ——निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– रामबाबू आ0 स्व. श्री धन्नालाल
2– शिवचरण आ0 स्व. श्री धन्नालाल
3– रामलखन आ0 स्व. श्री धन्नालाल
समस्त वयस्क–कृषक एवं निवासीगण–
ग्राम–बीलखो तह0 बैरासिया, जिला भोपाल ——अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता न्यायालय तहसीलदार तहसील लटेरी, के प्र0क्र0 140 / अ–6 / 2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.11.2017 से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रही है।

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि अनावेदकगण के पिता स्व. श्री धन्नालाल आ0 स्व. श्री नन्दा उर्फ नंदराम विश्वकर्मा, तत्कालीन निवासी ग्राम भीलाखेड़ी तह0 लटेरी ज़िला विदिशा ग्राम भीलाखेडी प. ह. नं. 33 तह. लटेरी की भूमि पुराने ख0क्र0 159 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0क्र0 169 रकबा 14 बीधा 4 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीधा 13 बिसवा नये ख0क्र0 170 रकबा 0.620 है0, एवं ख0क्र0 184 रकबा 3.591 है0 के अभिलिखित भूमिस्वामी रहे हैं।

2– यह कि अनावेदकगण के पिता श्री धन्नालाल ने निगरानीकर्ता सियाबाई पुत्री रणधीरसिंह ना. बा. संरक्षक दादा श्री किशन सिंह बघेल को अपने जीवनकाल में वर्ष 1972 में उक्त भूमि रजिस्टर्ड बैनामे से विक्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य सौंप चुके थे। वर्ष 1972 में श्री धन्नालाल ने उप पंजीयक / तहसीलदार लटेरी के कार्यालय में उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा प्रस्तुत किया था। निगरानीकर्ता के दादा ने तत्समय श्री धन्नालाल को उक्त भूमि का संपूर्ण विक्रय मूल्य 33,000 / – रू0 अदा कर दिया था। यह उल्लेखनीय है कि धन्नालाल उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त ग्राम भीलाखेड़ी तह0 लटेरी छोड़कर ग्राम बीलखो तह0 बैरासिया चला गया था और वहीं शादी करके निवास करने लगा था।

3– यह कि निगरानीकर्ता सियाबाई के पिता रणधीरसिंह तत्समय जनसंघ पार्टी के जिला विदिशा के उपाध्यक्ष के पद पर थे। आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी और जिस दिन धन्नालाल ने रजिस्टर्ड बैनामा निगरानीकर्ता के पिता रणधीरसिंह की उपस्थिति में उप पंजीयक तहसीलदार लटेरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया था उसी दिन निगरानीकर्ता के पिता रणधीरसिंह को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा तहसील कार्यालय की घेराबंदी की थी। निगरानीकर्ता के पिता रणधीरसिंह को इसकी भनक लगने पर वह फरार हो गया था और लगभग 4 माह फरारी में रहा था। इसके उपरान्त निगरानीकर्ता के पिता रणधीरसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह आपातकाल की अवधि में राजनैतिक बन्दी के रूप में 15 माह जेल में रहा था। आपातकाल समाप्त होने के उपरान्त जेल से रिहा होने के बाद

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4813 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, लटेरी जिला विदिशा के अंतरिम आदेश दिनांक 28–11–17 के विरूद्ध पेश की है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा पक्षकार बनाये जाने संबंधी आवेदन पत्र चलने योग्य न होने से खारिज किया है और प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया है । आवेदक द्वारा आधिपत्य के आधार पर पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पक्षकार न बनाये जाने का आधार उल्लिखित करते हुए कहा है कि स्वत्व अभिस्वीकृति पत्र के आधार पर किसी को स्वत्व का अंतरण नहीं किया जा सकता । तहसीलदार का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	